न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 53 सन 2019

अनवान :–

1. रामी पत्नी मनसुख जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायला

बनाम

1. रामस्वरूप 2 बृजलाल 3 हंसराज 4 सुरजीत 5 महेन्द्रसिह 6 रामसिह पि0 किशनाराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर

गैर सायलान

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री हरिसिह सिहाग अधिवक्ता सायला
श्री माडुराम सहारण अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 15/4/21

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ढण्ढेला के साबिका खसरा न0 238 में 102 बीधा 09 बिश्वा भूमि किशना पुत्र मुलाराम जो गैरसायल संख 1 ता 6 का पिता है तथा जीवनण वल्द हिरा बहिब के अर्थात प्रत्येक 51 बीधा 471–1/2 हिस्सा भूमि थी जिसमें से किशना ने अपने हिस्सा की भूमि में से 23 बीधा 9 बिश्वा भूमि सायला को दिनांक 26.01.1959 को जरिये रजिस्ट्रर्ड बेयनामा बेचान कर दी तथा सलग्न नक्शा बैयानामा के मुताबिक खसरा न0 238 की उतरी– पश्चिम की तरफ सायला को इस खरीद शुद्वा भूमि का कब्जा दे दिया गया और तब से लगातार आजतक सायला उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है। इसके पश्चात सम्वत 2016 में बन्दोबस्त विभाग द्वारा इस भूमि के नये खसरा न0 440 बना दिये गये तथा यह भूमि सायला के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी।

गैरसायल न0 1 ता 6 के पिता किशना ने शेष बची भूमि में से बाद में 1.0120हैक भूमि दावा में दिगर प्रतिवादी संख्या 7 कमला देवी को बेचान कर दी जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

अब बिना किसी आधार के बिना सायला की सहमति के अमलाए माल द्वा अपनी मनमर्जी से कतई गलत तरीके से खसरा न0 440 को बटा नम्बरों में डालकर सायला के नाम खसरा न0 489/440 दर्ज कर दिये जो दावा में दिगर प्रतिवादी संख्या 8 के कब्जा काश्त में है तथा सायला की खरीदशुद्वा कब्जा काश्त की भूमि खसरा न0 484/440 कर गैरसायल न0 1 ता 6 के नाम दर्ज कर दी जो कतई गलत है।

अब खसरा न0 484/440 में 6.5640हैक भूमि गैरसायल न0 1 से 6 के नाम दर्ज की गयी है जबकि इसमें 5.9310हैक भूमि तो सायला बैयनामा के समय से काबिज व काश्त करती आ रही है तथा यह भूमि सायला के नाम से ही दर्ज की जानी चाहिये थी तथा शेष बची भूमि पर जो उतर – पूर्वी तरफ की है जिस पर गैरसायल न0 1 ता 6 काबिज है उनके नाम दर्ज की जानी चाहिए थी तथा सायला की इस भूमि की एवज में गैरसायल न0 1 ता 6 के नाम से 5.9310हैक भूमि खसरा न0 485/440 की दर्ज की जानी चाहिये थी जो वर्तमान में इसके ही कब्जा काश्त में है तथा खसरा न0 485/440 में से ढण्ढेला माईनर नहर बनी है जिसका मुआवजा भी गैरसायल न0 1 ता 6 ने लिया है जो अपने कब्जा काश्त के कारण लिया था लेकिन जो राजस्व रिकार्ड में दावा में दिगर प्रतिवादी संख्या 8 के नाम से दर्ज है लेकिन दावा में दिगर प्रतिवादी संख्या 8 वर्तमान में खसरा न0 489/440 में काबिज है जो उसके ही नाम दर्ज की जानी चाहिए थी।

राजस्व रिकार्ड में नक्शा में उक्त गलत इन्द्राज के कारण सायला के काश्तकारी हकुक का हनन होता है कब्जा काश्त में नाहक दखल होगा इसलिये सायला अधिकार है कि वो अदालत में से अपने काश्तकारी हकुक की धोषणा करवाकर जमाबन्दी व नक्शा दुरूस्त करवाकर कब्जा काश्त के मुताबिक भूमि अपने नाम से दर्ज करवावें तथा गैरसायल न0 1 से 6 के खिलाफ सायला के कब्जा काश्त की भूमि में दखल नही देने बाबत निषेधाज्ञा प्राप्त करे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायल उक्त भूमि पर जबरिया कब्जा करने व वर्तमान स्थिति को परिवर्तन करने में कामयाब करने में कामयाब हो जाते है तो सायला औरतजात को अपूर्णीय क्षति होगी तथा नाहक मुकदमें बाजी बढेगी इसलिये सुविधा का सन्तुलन व प्राकृतिक न्याय का बिन्दु भी सायला के पक्ष में बनता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ढण्ढेला के खसरा न0 484/440 की 5.9310हैक भूमि के उतरी दक्षिणी तरफ की भूमि जो सायला के कब्जा काश्त में है उसमें गैरसायल न0 1 ता 6 मदाखलत बैजा ना करे तथा ना ही इस भूमि की पानी की बारी अपने नाम से बनवावें तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गेरसायल न0 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायला के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की

हीरा की रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 21 में 102 बीधा 09 बीधा भूमि नोतोड की हुई थी हीरा की मृत्यू के बाद मूला व जीवण के नाम व मूला की मृत्यू के बाद खाता संख्या 21/88 के खसरा न0 238 की 102 बीधा 09 बिश्वा भूमि किशना पुत्र मुला व जीवण व हीरा के नाम बहिब दर्ज हुई ।

वाद भूमि पैतृक भूमि है तथा पैतृक भूमि में पत्रों व पुत्रीयों का जन्म से हक हिस्सा होता है मगर कर्ता खानदान होने व प्रार्थी गैरसायलान की नासमझी व नाबालिग होने के कारण किशना ने अकेले अपने नाम दर्ज करवाली इसलिये वाद भूमि में गैरसायल संख्या 1 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा है और मुतवफी किशना के साथ बहिब के हकदार खातेदार काश्तकार है।

किशना की पैतृक भूमि में गैरसायल संख्या 1 ता 6 के हक की भूमि बैय करने का कोई हक नही था बैयनामा दिनांक 26.11.1959 बिना अधिकार करवाया गया होने के कारण गैरसायलान संख्या 1 ता 6 के मुकाबले शुन्य है।

गैरसायलान न0 1 ता 6 के पिता किशना व प्रार्थी गैरसायलान दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 8 के पिता जीवणराम पुत्र हीरा की रोही मौजा ढण्ढेला में खसरा न0 238 की 102 बीधा 09 बिश्वा भूमि मुश्तरका खातेदारी भूमि थी किशना उक्त मुश्तरका भूमि में से 23 बीधा 09 बीधा भूमि सायला को हिस्सा बैय तथाकथित शुन्य बैयनामा करवाया जाकर सायला का पति दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 8 मनसुख चतुर व चालाक व्यक्ति है ने बेयनामा के आसे पासे दर्ज करवा लिये जबकि किशना ने अपने हक हिस्सा से ज्यादा हिस्सा का बैयनामा करवा लिया तथा मुश्तरका खाते की भूमि में प्रत्येक हिस्सेदार का हर इंच की भूमि पर कब्जा होता है मुश्तरका भूमि में हिस्सेदार अपना हिस्सा बैय कर सकता है विशेष भाग बैय नही कर सकता है किशना ने विशेष भाग का बेयनामा नही कराया था पटवारी हल्का द्वारा खसरा न0 238 का नक्शा बना कर दिया गया था जिसमें रंग नही भरा गया था क्योकि असल नक्शा में रंग भरा हुआ नही है नक्शे में सायला व उसके पति मनसुख दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 8 ने किसी अन्य व्यक्ति से रंग भरवा कर कुटरचित दस्तावेजात तेयार कर विशेष भाग का बैयनामा करवाया है जो नियम विरूद्व व कानुन के खिलाफ है इसलिए सायला भूमि के विशेष भाग का धोषनात्मक दावा नही करा सकती है केवल बटवारा द्वारा अपना हिस्सा किस्म के अनुसार भूमि प्राप्त कर सकती है।

सायला ने भूप्रबन्धक विभाग द्वारा नियमानुसार की गई पैमाईश के वक्त व वाद में भूप्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये रिकार्ड बाबत इतने सालों में कभी काई उज्र ऐतराज नही किया गया स्थिति को स्वीकार करती आ रही है अतः मामला विवन्ध आरिज है।

मुश्तरका खाते की भूमि में सायला द्वारा क्रय की गई भूमि अजनबी खरीददार काश्तकार होने की सूरत में खाता विभाजन करा कर ही कब्जा प्राप्त कर सकती है जो इतने सालों बाद बिना खाता विभाजन की इस्तदुआ के खाश हिस्से बाबत इश्तकरार हक का दावा नाकाबिल चलने के है वाद सायला विधि विरूद्व होने के कारण काबिल खारिज है।

वाद भूमि पैतृक भूमि है और गैरसायलान का वाद भूमि में जन्म से हक हिस्सा है और मुतवफी किशना के साथ बहिब के हकदार व खातेदार काश्तकार है किशना ने सायला को अपने हक हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान किया है जबकि उसके हिस्से में 1/7 हिस्सा अर्थात सायला के हिस्से में 1.785हैक भूमि आती है इसलिये उक्त बैयनामा शुन्यजात है अतः सायला का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

गैरसायलान न0 1 ता 6 का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढण्ढेला के साबिका खसरा न0 238 में 102 बीधा 09 बिश्वा भूमि किशना पुत्र मुलाराम जो गैरसायल संख 1 ता 6 का पिता है तथा जीवनण वल्द हिरा बहिब के अर्थात प्रत्येक 51 बीधा 471–1/2 हिस्सा भूमि थी जिसमें से किशना ने अपने हिस्सा की भूमि में से 23 बीधा 9 बिश्वा भूमि सायला को दिनांक 26.01.1959 को जरिये रजिस्ट्रर्ड बेयनामा बेचान कर दी तथा सलग्न नक्शा बैयानामा के मुताबिक खसरा न0 238 की उतरी– पश्चिम की तरफ सायला को इस खरीद शुद्वा भूमि का कब्जा दे दिया गया और तब से लगातार आजतक सायला उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है। इसके पश्चात सम्वत 2016 में बन्दोबस्त विभाग द्वारा इस भूमि के नये खसरा न0 440 बना दिये गये तथा यह भूमि सायला के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी।

गैरसायल न0 1 ता 6 के पिता किशना ने शेष बची भूमि में से बाद में 1.0120हैक भूमि दावा में दिगर प्रतिवादी संख्या 7 कमला देवी को बेचान कर दी जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

अब बिना किसी आधार के बिना सायला की सहमति के अमलाए माल द्वाा अपनी मनमर्जी से कतई गलत तरीके से खसरा न0 440 को बटा नम्बरों में डालकर सायला के नाम खसरा न0 489/440 दर्ज कर दिये जो दावा में दिगर प्रतिवादी संख्या 8 के कब्जा काश्त में है तथा सायला की खरीदशुद्वा कब्जा काश्त की भूमि खसरा न0 484/440 कर गैरसायल न0 1 ता 6 के नाम दर्ज कर दी जो कतई गलत है।

अब खसरा न0 484/440 में 6.5640हैक भूमि गैरसायल न0 1 से 6 के नाम दर्ज की गयी है जबकि इसमें 5.9310हैक भूमि तो सायला बैयनामा के समय से काबिज व काश्त करती आ रही है तथा यह भूमि सायला के नाम से ही दर्ज की जानी चाहिये थी तथा शेष बची भूमि पर जो उतर – पूर्वी तरफ की है जिस पर गैरसायल न0 1 ता 6 काबिज है उनके नाम दर्ज की जानी चाहिए थी तथा सायला की इस भूमि की एवज में गैरसायल न0 1 ता 6 के नाम से 5.9310हैक भूमि खसरा न0 485/440 की दर्ज की जानी चाहिये थी जो वर्तमान में इसके ही कब्जा काश्त में है तथा खसरा न0 485/440 में से ढण्ढेला माईनर नहर बनी है जिसका मुआवजा भी गैरसायल न0 1 ता 6 ने लिया है जो अपने कब्जा काश्त के कारण लिया था लेकिन जो राजस्व रिकार्ड में दावा में दिगर प्रतिवादी संख्या 8 के नाम से दर्ज है लेकिन दावा में दिगर प्रतिवादी संख्या 8 वर्तमान में खसरा न0 489/440 में काबिज है जो उसके ही नाम दर्ज की जानी चाहिए थी।

राजस्व रिकार्ड में नक्शा में उक्त गलत इन्द्राज के कारण सायला के काश्तकारी हकुक का हनन होता है कब्जा काश्त में नाहक दखल होगा इसलिये सायला अधिकार है कि वो अदालत में से अपने काश्तकारी हकुक की धोषणा करवाकर जमाबन्दी व नक्शा दुरूस्त करवाकर कब्जा काश्त के मुताबिक भूमि अपने नाम से दर्ज करवावें तथा गैरसायल न0 1 से 6 के खिलाफ सायला के कब्जा काश्त की भूमि में दखल नही देने बाबत निषेधाज्ञा प्राप्त करे।

गैरसायल उक्त भूमि पर जबरिया कब्जा करने व वर्तमान स्थिति को परिर्वतन करने में कामयाब करने में कामयाब हो जाते है तो सायला औरतजात को अपूर्णीय क्षति होगी तथा नाहक मुकदमें बाजी बढेगी इसलिये सुविधा का सन्तुलन व प्राकृतिक न्याय का बिन्दु भी सायला के पक्ष में बनता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ढण्ढेला के खसरा न0 484/440 की 5.9310हैक भूमि के उतरी दक्षिणी तरफ की भूमि जो सायला के कब्जा काश्त में है उसमें गैरसायल न0 1 ता 6 मदाखलत बैजा ना करे तथा ना ही इस भूमि की पानी की बारी अपने नाम से बनवावें तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

गैरसायल 1 ता 6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की हीरा की रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 21 में 102 बीधा 09 बीधा भूमि नोतोड की हुई थी हीरा की मृत्यू के बाद मूला जीवण के नाम व मूला की मृत्यू के बाद खाता संख्या 21/88 के खसरा न0 238 की 102 बीधा 09 बिश्वा भूमि किशना पुत्र मुला व जीवण व हीरा के नाम बहिब दर्ज हुई ।

वाद भूमि पैतृक भूमि है तथा पैतृक भूमि में पत्रों व पुत्रीयों का जन्म से हक हिस्सा होता है मगर कर्ता खानदान होने व प्रार्थी गैरसायलान की नासमझी व नाबालिग होने के कारण किशना ने अकेले अपने नाम दर्ज करवाली इसलिये वाद भूमि में गैरसायल संख्या 1 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा है और मुतवफी किशना के साथ बहिब के हकदार खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किशना की पैतृक भूमि में गैरसायल संख्या 1 ता 6 के हक की भूमि बैय करने का कोई हक नही था बैयनामा दिनांक 26.11.1959 बिना अधिकार करवाया गया होने के कारण गैरसायलान संख्या 1 ता 6 के मुकाबले शुन्य है।

गैरसायलान न0 1 ता 6 के पिता किशना व प्रार्थी गैरसायलान दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 8 के पिता जीवणराम पुत्र हीरा की रोही मौजा ढण्ढेला में खसरा न0 238 की 102 बीधा 09 बिश्वा भूमि मुश्तरका खातेदारी भूमि थी किशना उक्त मुश्तरका भूमि में से 23 बीधा 09 बीधा भूमि सायला को हिस्सा बैय तथाकथित शुन्य बैयनामा करवाया जाकर सायला का पति दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 8 मनसुख चतुर व चालाक व्यक्ति है ने बेयनामा के आसे पासे दर्ज करवा लिये जबकि किशना ने अपने हक हिस्सा से ज्यादा हिस्सा का बैयनामा करवा लिया तथा मुश्तरका खाते की भूमि में प्रत्येक हिस्सेदार का हर इंच की भूमि पर कब्जा होता है मुश्तरका भूमि में हिस्सेदार अपना हिस्सा बैय कर सकता है विशेष भाग बैय नही कर सकता है किशना ने विशेष भाग का बेयनामा नही कराया था पटवारी हल्का द्वारा खसरा न0 238 का नक्शा बना कर दिया गया था जिसमें रंग नही भरा गया था क्योकि असल नक्शा में रंग भरा हुआ नही है नक्शे में सायला व उसके पति मनसुख दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 8 ने किसी अन्य व्यक्ति से रंग भरवा कर कुटरचित दस्तावेजात तेयार कर विशेष भाग का बैयनामा करवाया है जो नियम विरूद्व व कानुन के खिलाफ है इसलिए सायला भूमि के विशेष भाग का धोषनात्मक दावा नही करा सकती है केवल बटवारा द्वारा अपना हिस्सा किस्म के अनुसार भूमि प्राप्त कर सकती है।

सायला ने भूप्रबन्धक विभाग द्वारा नियमानुसार की गई पैमाईश के वक्त व वाद में भूप्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये रिकार्ड बाबत इतने सालों में कभी काई उज्र ऐतराज नही किया गया स्थिति को स्वीकार करती आ रही है अतः मामला विवन्ध आरिज है।

मुश्तरका खाते की भूमि में सायला द्वारा क्रय की गई भूमि अजनबी खरीददार काश्तकार होने की सूरत में खाता विभाजन करा कर ही कब्जा प्राप्त कर सकती है जो इतने सालों बाद बिना खाता विभाजन की इस्तदुआ के खाश हिस्से बाबत इश्तकरार हक का दावा नाकाबिल चलने के है वाद सायला विधि विरूद्व होने के कारण काबिल खारिज है।

वाद भूमि पैतृक भूमि है और गैरसायलान का वाद भूमि में जन्म से हक हिस्सा है और मुतवफी किशना के साथ बहिब के हकदार व खातेदार काश्तकार है किशना ने सायला को अपने हक हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान किया है जबकि उसके हिस्से में 1/7 हिस्सा अर्थात सायला के हिस्से में 1.785हैक भूमि आती है इसलिये उक्त बैयनामा शुन्यजात है अतः सायला का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि पैतृक सम्पति है या स्वअर्जित सम्पति है एवं गैरसायलान का वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण – प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड /बेयनामा के अनुसार रोही मौजा ढण्ढेला के साबिका खसरा न0 238 में 102 बीधा 09 बिश्वा भूमि किशना पुत्र मुलाराम जो गैरसायल संख्या 1 ता 6 का पिता है तथा जीवन वल्द हिरा बहिब के अर्थात प्रत्येक 51 बीधा 471–1/2 हिस्सा भूमि थी जिसमें से किशना ने अपने हिस्सा की भूमि में से 23 बीधा 9 बिश्वा भूमि सायला को दिनांक 26.01.1959 को जरिये रजिस्ट्रर्ड बेयनामा बेचान की गई थी।

प्रस्तुत खसरा मिलान से स्पष्ट है कि साबिका खसरा न0 238 से हाल खसरा न0 440 बना है अर्थात किशना वल्द मुलाराम ने अपने नाम दर्ज भूमि में से सायला को जरिये बेयनामा भूमि बेचान की गई है अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन सायला के पक्ष में प्रतीत होता है।

सायला का कथन है कि उसके द्वारा भूमि खरीद करने के समय जिस भूमि का कब्जा दिया गया था पर काबिज है किन्तु राजस्व विभाग ने बटा नम्बरों में भूमि दर्ज कर सायला के कब्जा काश्त की भूमि अन्य के नाम दर्ज कर दी सायला का यह कथन वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर ही तय हो सकता है कि कौनसी भूमि सायला के हक हिस्सा की और कोनसी भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के हक हिस्सा की भूमि है।

गैरसायल न0 1 ता 6 का कथन है कि वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें गैरसायल न0 1 ता 6 का हक हिस्सा है गैरसायल न0 1 ता 6 के पिता किशना को अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि बेचान करने का अधिकार नही था यह तथ्य भी वाद में साक्ष्य सबुतों

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के आधार पर तय होगा की वाद भूमि पैतृक है या नही एवं गैरसायल न0 1 ता 6 का हक हिस्सा है और बैयनामा हकों से अधिक भूमि का हुआ है या नही परन्तु उक्त बैयनामा रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज है जिसे आदिनांक तक चुनौती दिये जाने का तथ्य पत्रावली पर नही है अर्थात सुविधा का सन्तुलन भी सायला के पक्ष में पाया जाता है।

प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार यह स्पष्ट है कि वाद भूमि किशना वल्द मूलाराम के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी एवं किशना वल्द मुलाराम ने अपने हक हिस्सा की भूमि मे से 23.09 बीधा भूमि का बेचान सायला को किया गया है जो बैयनामा से साबित है एवं बैयनामा के अनुसार ही भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

बैयनामा के आधार पर सायला के द्वारा भूमि सम्भवतय काश्त भी की गई होगी क्योकि बैयनामा काफी पुराना है तथा राजस्व रिकार्ड में बटा नम्बर किस आधार पर दर्ज किये गये है तथा कब्जा काश्त का विवाद इतने वर्षो के बाद किस प्रकार से हुआ है यह सभी तथ्य वाद में तय होगे जब तक उक्त तथ्य साबित नही होते तब तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी न्यायोचित प्रतित होती है।

सायला कथन है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये बटा नम्बरों के आधार पर गैरसायलान संख्या 1 ता 6 एवं प्रतिवादी संख्या 8 सायला के कब्जा काश्त की भूमि में दखल कर सकते है जब तक वाद मे उक्त तथ्य साबित नही हो जाते तब तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी न्यायोचित प्रतित होती है ताकि किसी भी पक्षकार के हको का हनन ना हो सके अर्थात अपूर्णीय क्षति प्रकरण की वस्तूस्थिति के अनुसार उभयपक्षों के पक्ष में पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन सायला के पक्ष में साबित होने एवं प्रकरण की वस्तुस्थिति के आधार पर सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ढण्ढेला के खसरा न0 484/440 की कुल 5.9310 हैक भूमि रिकार्ड /मौका की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाई रखी जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/4/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर